भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/डीओआर/2025-26/370

डीओआर.एफआईएन.आरईसी.सं.289/03.10.124/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफार्म) निदेश, 2025

विषय सूची

अध्याय-I – प्रारंभिक 2

अध्याय-II – निदेशक मंडल की भूमिका, पंजीकरण और अनुमत गतिविधियां 5

अध्याय-III – विवेकपूर्ण मानदंड 10

अध्याय-IV – कॉर्पोरेट अभिशासन 16

अध्याय-V – विविध निदेश 18

अध्याय IV – निरसन और अन्य प्रावधान 20

अनुबंध I 21

परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आई के खंड (एफ) के उप-खंड (iii) के तहत दिनांक 24 अगस्त, 2017 को अधिसूचना संख्या डीएनबीआर.045/सीजीएम(सीडीएस)-2017 जारी की थी और ऐसा करना आवश्यक होने की संतुष्टि पर, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए, 45जेए, 45एल और 45एम द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अनुपालन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 जारी करता है।

अध्याय-I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश उस दिन लागू होंगे जिस दिन इन्हें रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

बी. प्रयोज्यता और क्षेत्र

3. ये निदेश प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (जिसे इसमें आगे सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी-पी2पी ' और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी-पी2पी ' कहा गया है) पर लागू होंगे, जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है और भारत में एनबीएफसी-पी2पी के पंजीकरण और परिचालन के लिए ढांचा प्रदान करेंगे।

सी. अन्य निदेशों की प्रयोज्यता

4. निम्नलिखित निदेशों में निहित प्रावधान, जहाँ वे इन निदेशों की विषयवस्तु के प्रतिकूल न हों, एनबीएफसी-पी2पी पर लागू होंगे:

   (1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025।

   (2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – लाभांश घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025।

   (3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025।

   (4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 (पैराग्राफ 13 से 15 और पैराग्राफ 20 को छोड़कर)।

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 8 से 13। यह नोट किया किया जाएं कि एसबीआर ढांचे के तहत एनबीएफसी-पी2पी को एनबीएफसी-बीएल के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद, पैराग्राफ 12 और 13 के प्रावधान एनबीएफसी-पी2पी पर लागू होंगे।

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025, पैराग्राफ 6(3) और 6(4) को छोड़कर।

(7) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आउटसोर्सिंग जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025।

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जिम्मेदार कारोबार आचरण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 98 से 100।

(9) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6, 7, 14, 15, 25 और 26।

(10) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- स्वैच्छिक समामेलन) निदेश, 2025।

(11) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025।

5. उपरोक्त के बावजूद, इन निदेशों में निहित अनुदेश उपरोक्त पैराग्राफ 4 में उल्लिखित निदेशों में निहित अन्य प्रासंगिक अनुदेशों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके स्थान पर।

डी. एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत विनियामक संरचना

6. एनबीएफसी-पी2पी निरंतर भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट विनियामकीय संरचना के बेस लेयर में रहेगा।

ई. परिभाषाएं

7. इन निदेशों में, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त शब्दों का वही अर्थ होगा जैसा नीचे दिया गया है:

(1) "कंपनी" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कंपनी से है;

(2) "लीवरेज अनुपात" का तात्पर्य है एनबीएफसी-पी2पी की कुल बाह्य देयताओं को उसकी स्वाधिकृत निधियों से विभाजित करना।

(3) "अनर्जक आस्ति" (एनपीए) का तात्पर्य है ऐसा ऋण जिसमें ब्याज और/अथवा मूल का किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया रहा हो।

(4) "प्रतिभागी" का तात्पर्य है कोई ऐसा व्यक्ति जो एनबीएफसी-पी2पी पर ऋण देने अथवा पी2पी द्वारा प्रदत ऋण सुविधा सेवाएं लेने के लिए उस व्यवस्था से जुड़ा हो ;

स्पष्टीकरण: 'व्यक्ति' में एक व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय, एचयूएफ, फर्म, सोसाइटी, या कोई भी कृत्रिम निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगम हो या न हो।

(5) "पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म" का तात्पर्य है वह मध्यस्थ जो ऑनलाइन अथवा किसी अन्य माध्यम से इन निदेशों के उप-पैरा 4 में परिभाषित प्रतिभागियों को ऋण सुविधा संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।

(6) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म" (एनबीएफसी-पी2पी) का तात्पर्य है कोई गैर-बैंकिंग संस्था जो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार करती हो।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों और/या एनबीएफसी के लिए सीधी सेवा एजेंट्स (डीएसए)/कारोबार प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जो केवल बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को उधारकर्ताओं की पहचान करने में सहायता करते हैं, उन्हें पी2पी प्लेटफॉर्म नहीं माना जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां बैंकों या एनबीएफसी या एआईएफआई के अलावा, अन्य खुदरा ऋणदाता उधार देने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो प्लेटफॉर्म को एनबीएफसी-पी2पी के रूप में अलग से पंजीकरण कराना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई मौजूदा एनबीएफसी, एनबीएफसी-पी2पी के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।

8. इन निदेशों में प्रयुक्त शब्दों या अभिव्यक्तियों के अर्थ, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है तथा अधिनियम अथवा कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित हैं, वही होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।

अध्याय-II – निदेशक मंडल की भूमिका, पंजीकरण और अनुमत गतिविधियां

ए. निदेशक मंडल की भूमिका

9. एनबीएफसी-पी2पी सुदृढ़ प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करेगी और आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करेगी। बोर्ड या उसकी समिति(यों) द्वारा अनुमोदित की जाने वाली ऐसी नीतियों की एक उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है। इन नीतियों में समाधान किए जाने वाले विशिष्ट पहलुओं का विवरण इन निदेशों के प्रासंगिक पैराग्राफ में दिया गया है।

   (1) परिचालन दिशानिर्देश:

   (i) इस पर प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंड तय करना,

   (ii) इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य निर्धारण निर्धारित करना, और

   (iii) न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से उधारकर्ताओं के साथ ऋणदाताओं का मिलान/मैपिंग करने के लिए नियम तय करना।

   (2) उचित व्यवहार संहिता ।

   (3) प्रतिभागी शिकायत निवारण तंत्र।

   (4) **व्यवसाय निरंतरता योजना:** प्लेटफॉर्म बंद होने की स्थिति में जानकारी और दस्तावेजों की सुरक्षा और पूर्ण अवधि के लिए ऋणों की चुकौती।

   (5) निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड।

10. बोर्ड या उसकी समिति(यों) द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं की एक उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है। इन समीक्षाओं में समाधान किए जाने वाले विशिष्ट पहलुओं का विवरण इन निदेशों के प्रासंगिक पैराग्राफ में दिया गया है।

    (1) उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन।

    (2) प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र की कार्यप्रणाली।

बी. पंजीकरण

बी.1 पात्रता मानदंड

11. कंपनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर बैंकिंग संस्था पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म कारोबार नहीं करेगी।

12. कोई भी एनबीएफसी-पी2पी रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार आरंभ नहीं करेगा या उसे जारी नहीं रखेगा।

13. रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी-पी2पी के रूप में पंजीकरण चाहनेवाली प्रत्येक कंपनी के पास कम से कम दो करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि होनी चाहिए अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी कोई उच्चतर राशि होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: आवेदक, पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी जारी करने से पहले आवश्यक निवल स्वाधिकृत निधि का निवेश करेगा, बशर्ते कि आवेदन जमा करते समय न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रवर्तकों की सूची और निधियों के स्रोतों को प्रस्तुत किया गया हो। मध्यवर्ती अवधि में प्रवर्तकों में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

बी.2 पंजीकरण की प्रक्रिया

14. एनबीएफसी-पी2पी के रूप में पंजीकरण की मांग करने वाली प्रत्येक प्रस्तावित कंपनी, इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल के माध्यम से, रिज़र्व बैंक के विनियमन विभाग को पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी।

15. रिज़र्व बैंक को पंजीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अपेक्षित है:

(1) कंपनी भारत में स्थापित है;

(2) कंपनी के पास प्रतिभागियों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक तकनीकी, उद्यमी और प्रबंधकीय संसाधन उपलब्ध हैं;

(3) कंपनी के पास पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार करने के लिए पर्याप्त पूंजी संरचना है;

(4) कंपनी के प्रमोटर और निदेशक उपयुक्त एवं उचित हैं;

(5) कंपनी के प्रबंधन का सामान्य चरित्र जनहित के लिए हानिकारक नहीं है;

(6) कंपनी ने मजबूत और सुरक्षित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए योजना प्रस्तुत की है, अथवा उसे लागू किया है;

(7) कंपनी ने पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार करने के लिए एक व्यवहार्य कारोबार योजना प्रस्तुत की है;

(8) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर जन हित साधा जाएगा;

(9) रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य शर्त जिसकी पूर्ति रिज़र्व बैंक के विचार से यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि भारत में कारोबार आरंभ करना अथवा उसे जारी रखना जन हित के लिए हानिकारक नहीं है।

16. रिज़र्व बैंक, पैराग्राफ 15 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन से संतुष्ट होने के पश्चात पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सही मानी गई शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दे सकता है।

17. रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए ऐसे सैद्धांतिक स्वीकृति की वैधता सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने से बारह माह तक होगी।

18. बारह माह के भीतर, कंपनी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी, सभी अन्य विधिक अपेक्षित दस्तावेज तैयार करेगी और सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट करेगी।

19. रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि कंपनी परिचालन करने के लिए तैयार है, रिज़र्व बैंक सही माने गए शर्तों के अधीन, एनबीएफसी-पी2पी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

बी.3 मौजूदा एनबीएफसी-पी2पी की स्थिति में

20. रिज़र्व बैंक किसी एनबीएफसी-पी2पी को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर सकती है, यदि ऐसी कंपनी–

(1) भारत में पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार बंद कर देती है; अथवा

(2) उन शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहती है; जिनके आधार पर उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है; अथवा

(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण करने के लिए पात्र नहीं रह जाती है; अथवा

(4) किसी भी समय पैराग्राफ 15 और 18 में दिए गए शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहती है; अथवा

(5) विफल रहती है कि –

(i) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निदेश का अनुपालन करने में; अथवा

(ii) किसी नियम अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी निदेश अथवा आदेश की अपेक्षानुसार वित्तीय स्थिति को बनाए रखने, प्रकाशित करने और प्रकट करने में; अथवा

(iii) रिज़र्व बैंक द्वारा मांग किए जाने पर अपने खाता-बहियाँ अथवा किसी संबंधित दस्तावेजों को देने अथवा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करने में।

बी.4 एफएटीएफ गैर-अनुपालन वाले क्षेत्राधिकारों से निवेश

21. एनबीएफसी-पी2पी, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 47 और 48 में निर्धारित अनुदेशों के प्रावधानों का अनुपालन करेगी।

सी. गतिविधियों का क्षेत्र

22. कोई एनबीएफसी-पी2पी निम्नलिखित कार्य करेगी–

(1) पीयर टू पीयर लेंडिंग में शामिल प्रतिभागीयों के लिए ऑनलाइन मार्केट-स्थल अथवा प्लेटफॉर्म प्रदान करनेवाले मध्यस्थ के रूप में कार्य करना;

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आई(बीबी) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अथवा द्वारा परिभाषित जमाराशि स्वीकार नहीं कर सकती;

(3) स्वयं ऋण नहीं दे सकती है;

(4) कोई ऋण वृद्धि अथवा ऋण गारंटी नहीं दे सकती अथवा इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती है। एनबीएफसी-पी2पी अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए लेनदेन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी क्रेडिट जोखिम को ग्रहण नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, प्लेटफॉर्म पर ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं को उधार दिए गए धन के संबंध में मूलधन या ब्याज या दोनों का पूरा नुकसान, यदि कोई हो, ऋणदाताओं

द्वारा वहन किया जाएगा और इन निदेशों के पैराग्राफ 45 से 50 में निर्दिष्ट उचित व्यवहार संहिता के भाग के रूप में ऋणदाताओं को इस आशय का पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाएगा;

(5) अपने प्लेटफॉर्म पर कोई जमानती ऋण की सुविधा अथवा अनुमति नहीं देगी, अर्थात केवल बेजमानती ऋण ही स्वीकृत हैं;

(6) ऋण देने हेतु ऋणदाताओं से प्राप्त निधि अथवा उधारकर्ताओं से ऋण की अदायगी के लिए प्राप्त निधि को अथवा इन निदेशों के पैराग्राफ 37 और 38 में उल्लिखित निधि को अपने तुलन पत्र में नहीं रखेगी;

(7) ऋण-विशिष्ट बीमा उत्पादों को छोड़कर किसी भी उत्पाद का प्रतिविक्रय (क्रॉस-सेल) नहीं करेगी। यह ध्यान दिया जाएं कि एनबीएफसी-पी2पी किसी भी ऐसे बीमा उत्पाद का प्रतिविक्रय नहीं करेगी जो क्रेडिट संवर्धन या क्रेडिट गारंटी की प्रकृति का हो;

(8) निधियों के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति नहीं देगी;

(9) प्रासंगिक कानूनों के तहत प्रतिभागियों के लिए लागू कानूनी अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करेगी;

(10) अपनी गतिविधियों और प्रतिभागियों से संबंधित सभी प्रकार के डेटा को भारत में स्थित हार्डवेयर पर संग्रहीत और संसाधित करेगी;

(11) इन निदेशों में निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से ऋणदाताओं की निधियों को अभिनियोजन नहीं करेगी;

(12) किसी अन्य ऋणदाता(ओं) के प्रतिस्थापन के लिए ऋणदाता की निधियों का उपयोग नहीं करेगी।

23. इसके अलावा, एनबीएफसी-पी2पी निम्नलिखित कार्य करेंगे –

(1) प्रतिभागियों के संबंध में उचित जाँच करें;

(2) उधारकर्ताओं के ऋण मूल्यांकन तथा जोखिम प्रोफाइलिंग की जांच करें और यह जानकारी प्रत्याशित ऋणदाताओं को दें;

(3) प्रतिभागियों की ऋण जानकारी पाने से पहले उनकी पूर्व तथा स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त करें;

(4) ऋण करारों और अन्य संबंधित दस्तावेजों को तैयार करें;

(5) ऋण राशि के भुगतान एवं अदायगी में सहयोग प्रदान करें।

(6) प्लेटफॉर्म का उपयोग कर प्रदत्त ऋण की वसूली के लिए सेवाएं प्रदान करें।

24. इन निदेशों के पैराग्राफ 22 और 23 में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य गतिविधि एनबीएफसी-पी2पी नहीं करेगी।

बशर्ते कि रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी-पी2पी को निर्दिष्ट उपकरणों में निवेश योग्य निधियों के अभिनियोजन की अनुमति दी जाएगी, न कि व्यापार के लिए।

स्पष्टीकरण: निवेश योग्य निधि का अर्थ व्यवसाय में लगाई गई पूंजी और एनबीएफसी-पी2पी के व्यवसाय से उत्पन्न अधिशेष से है। इसमें ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं की निधियां शामिल नहीं हैं जो एस्क्रो खातों के

माध्यम से प्रवाहित होती हैं। प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्राहकों की उधार दी गई/उधार ली गई निधियों का उपयोग प्लेटफॉर्म द्वारा नहीं किया जा सकता।

अध्याय-III – विवेकपूर्ण मानदंड

ए. लीवरेज अनुपात

25. एनबीएफसी-पी2पी दो से अधिक का लीवरेज अनुपात नहीं रखना चाहिए ।

स्पष्टीकरण: लीवरेज अनुपात से तात्पर्य एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म के तुलन पत्र पर बाह्य देनदारियों से है जिन्हें वह जुटा सकती है, जिसे उसकी स्वाधिकृत निधि से विभाजित किया जाता है। प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ग्राहकों की उधार दी गई/ली गई निधियों को प्लेटफॉर्म की बाह्य देनदारी के रूप में नहीं माना जाता है।

बी. सकेंद्रण सीमाएं

26. किसी भी समय ऋणदाता के सभी एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म पर सकल एक्सपोजर की उच्चतम सीमा ₹50,00,000/- होगी बशर्ते कि एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता के ये निवेश उनके निवल मालियत के अनुरूप हो। । सभी एनबीएफसी-पी2पी में ₹10,00,000/- से अधिक निवेश करने वाले ऋणदाता को एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बात का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी निवल मालियत न्यूनतम ₹50,00,000 है।

27. किसी भी समय उधारकर्ता के सभी एनबीएफसी-पी2पी पर सकल ऋण उच्चतम सीमा ₹10,00,000/- होगी।

28. किसी भी समय ऋणदाता के सभी एनबीएफसी-पी2पी पर एक उधारकर्ता पर सकल एक्सपोजर की उच्चतम सीमा ₹50,000/- होगी।

29. ऋण की परिपक्वता 36 माह से अधिक नहीं होगी।

30. एनबीएफसी-पी2पी उधारकर्ता तथा ऋणदाता से, जैसा लागू हो, इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि ऊपर उल्लिखित सीमाओं का पालन किया जा रहा है।

सी. लाभांश की घोषणा

31. एनबीएफसी-पी2पी, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करेगी।

डी. परिचालन दिशानिर्देश

32. एनबीएफसी-पी2पी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनाएगी जो –

(1) प्रतिभागियों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करेगी ।

(2) उसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारित करेगी।

(3) ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं को समान तथा गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से मिलान / मैपिंग करने के लिए नियम बनाएगी।

33. एनबीएफसी-पी2पी द्वारा किसी गतिविधि की आउटसोर्सिंग के कारण इसके दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपने सेवा प्रदाताओं सहित वसूली एजेंटों के कार्यों और उनके पास उपलब्ध प्रतिभागियों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता के लिए जिम्मेदार रहेगी।

34. कोई भी ऋण तब तक संवितरित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं का पैराग्राफ 32 के उप-पैरा (3) के तहत बनाई गई बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार मिलान/मैपिंग न कर ली गई हो, व्यक्तिगत ऋणदाता(ओं) ने ऋण के व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता(ओं) को मंजूरी न दे दी हो, और सभी संबंधित प्रतिभागियों ने ऋण करार पर हस्ताक्षर न कर दिए हों।

35. मूल्य निर्धारण नीति वस्तुनिष्ठ होगी और एनबीएफसी-पी2पी, अपने द्वारा ली जाने वाली फीस का प्रकटन, प्रारंभ में ही, अर्थात् उधार देने के समय ही करेगी। फीस एक निश्चित राशि या उधार लेनदेन में शामिल मूल राशि का एक निश्चित अनुपात होगा। फीस उधारकर्ता(ओं) के पुनर्भुगतान पर निर्भर नहीं होगा।

36. क्लोज उपयोगकर्ता समूह के भीतर प्रतिभागियों का मिलान / मैपिंग करने का अभ्यास, चाहे वह किसी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किया गया हो या अन्यथा, अनुमत नहीं है। 'क्लोज उपयोगकर्ता समूह' के उदाहरणों में एनबीएफसी-पी2पी के सहयोगी / सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त उधारकर्ता / ऋणदाता शामिल हैं।

ई. निधि अंतरण प्रक्रिया

37. पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्मपर प्रतिभागियों के बीच निधि अंतरण एस्क्रो खाता तंत्र के माध्यम से होगा जो एक बैंक द्वारा प्रवर्तित ट्रस्टी द्वारा संचालित किया जाएगा। कम से कम दो एस्क्रो खाते, एक ऋणदाताओं से प्राप्त और संवितरण के लिए लंबित निधियों के लिए (अर्थात 'ऋणदाता एस्क्रो खाता'), और दूसरा उधारकर्ताओं से वसूली के लिए (अर्थात 'उधारकर्ता एस्क्रो खाता'), बनाए रखे जाएंगे। इन निर्धारित निधि अंतरण तंत्र के तहत, ऋणदाताओं के बैंक खातों से धनराशि केवल ऋणदाता एस्क्रो खाते में स्थानांतरित की जाएगी और इन निदेशों के पैराग्राफ 34 का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही विशिष्ट उधारकर्ता के बैंक खाते में संवितरित की जाएगी। उधारकर्ता, ऋण के पुनर्भुगतान की राशि अपने बैंक खाते से उधारकर्ता एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करेगा, जहां से धनराशि केवल संबंधित ऋणदाता के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। 'ऋणदाता एस्क्रो खाते' से धन का उपयोग ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा और 'उधारकर्ता एस्क्रो खाते' से धन का उपयोग ऋणों के संवितरण के लिए नहीं किया जाएगा। सभी निधि अंतरण बैंक खातों के माध्यम से और उनसे ही होंगे तथा नकद लेनदेन सख्त वर्जित हैं। अनुबंध I में वर्णित तंत्र को एनबीएफसी-पी2पी द्वारा अपनाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: एक एनबीएफसी-पी2पी, प्रतिभागियों के बैंक खातों के सत्यापन / पहचान के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ कोई भी उपयुक्त तंत्र अपना सकती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत संबंधित ऋणदाता या उधारकर्ता के ही हैं ताकि निधि अंतरण तंत्र का पालन

किया जा सके। एनबीएफसी-पी2पी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार रहेगी कि ऐसे तंत्र डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों और समय-समय पर रिज़र्व बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी लागू कानूनों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों के अनुरूप हों।

38. ऋणदाता एस्क्रो खाते और उधारकर्ता एस्क्रो खाते में स्थानांतरित धनराशि इन एस्क्रो खातों में 'T+1' दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं रहेगी, यहाँ 'T' वह तिथि है जिस दिन इन एस्क्रो खातों में धनराशि प्राप्त होती है। यह प्रावधान 15 नवंबर, 2024 से प्रभावी है।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि सभी निधि अंतरण बैंक खातों के माध्यम से और उनसे संचालित किए जाने चाहिए, इसलिए 'T+1' दिन को 'T+1' बैंक कार्य दिवस माना जाएगा।

एफ. क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को डेटा प्रस्तुत करना

39. एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म पर उधारकर्ता के लेनदेन से संबंधित क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग और अद्यतन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 में लागू प्रासंगिक अनुदेशों का पालन करेगी। इस उद्देश्य के लिए, एनबीएफसी-पी2पी, क्रेडिट जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिभागियों के साथ समझौते में आवश्यक सहमतियों को शामिल करेगी।

जी. पारदर्शिता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं

40. एनबीएफसी-पी2पी को निम्नलिखित प्रकटीकरण करना होगा:

(1) ऋणदाता को:

(i) उधारकर्ता(ओं) से उसकी सहमति से उधारकर्ता की व्यक्तिगत पहचान के बारे में विवरण (जिसे रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए), अपेक्षित राशि, मांगी गई ब्याज दर, और एनबीएफसी-पी2पी द्वारा निर्धारित क्रेडिट स्कोर।

(ii) संभावित रिटर्न, शुल्क और कर सहित ऋण के सभी नियमों और शर्तों का विवरण;

(2) उधारकर्ता को - ऋणदाता की व्यक्तिगत पहचान और संपर्क विवरण के अलावा प्रस्तावित राशि, पेशकश ब्याज दर सहित उसका विवरण;

(3) वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रकटीकरण:

(i) क्रेडिट मूल्यांकन / स्कोर पद्धति और विचारार्थ कारकों का संक्षिप्त विवरण;

(ii) डेटा का उपयोग / संरक्षण संबंधी प्रकटन;

(iii) शिकायत निवारण प्रणाली;

(iv) मासिक आधार पर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के भाग और अवधि के अनुसार पृथक्करण सहित पोर्टफोलियो निष्पादन। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रकटीकरण में मूलधन या ब्याज या दोनों पर ऋणदाताओं द्वारा वहन किए गए सभी नुकसान भी शामिल होंगे; और

(v) व्यापक कारोबार मॉडल।

41. एनबीएफसी-पी2पी, पैराग्राफ 13 से 15 और पैराग्राफ 20 को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं का भी अनुपालन करेगी। ये प्रकटीकरण अन्य कानूनों, नियमों या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं, न कि उनके विकल्प के रूप में। न्यूनतम आवश्यक से अधिक व्यापक प्रकटीकरणों को प्रोत्साहित किया जाता है, खासकर यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं।

42. एनबीएफसी-पी2पी यह सुनिश्चित करेगी कि सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले प्रतिभागीयों को सेवाएं प्रदान करना प्रतिभागियों और एनबीएफसी-पी2पी के बीच उचित समझौतों द्वारा समर्थित हो। समझौतों में उधारकर्ता, ऋणदाता और एनबीएफसी-पी2पी के बीच सभी नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

43. प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित ब्याज दरें वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) प्रारूप में होंगी।

44. एनबीएफसी-पी2पी अपने सभी टच पॉइंट्स / ग्राहक इंटरफेस में प्रचार सामग्री और हितधारकों / प्रतिभागियों के साथ किसी भी संचार सहित स्पष्ट रूप से और प्रमुखता से अपने नाम (जैसा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है) के साथ-साथ अपने ब्रांड नाम, यदि कोई हो का उल्लेख करेगी।

एच. उचित व्यवहार संहिता

45. एनबीएफसी-पी2पी यहां उल्लिखित दिशानिर्देशों के आधार पर अपने बोर्ड के अनुमोदन से, उचित व्यवहार संहिता लागू करेगी। विभिन्न हितधारकों की जानकारी के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर रखा जाएगा।

46. एनबीएफसी-पी2पी को ऋणदाताओं से स्पष्ट घोषणा प्राप्त करनी होगी जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उसने ऋण देने से जुड़े सभी जोखिमों को समझा हैं और एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म मूलधन की वापसी / ब्याज के भुगतान का आश्वासन नहीं देता। इस घोषणा में यह भी उल्लिखित होगा कि उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में पूरे मूलधन के नुकसान की संभावना है। एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म ऋण की वसूली के लिए कोई आश्वासन या गारंटी प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा, एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म अवधि से जुड़े सुनिश्चित न्यूनतम रिटर्न, तरलता विकल्प आदि जैसी सुविधाओं के साथ एक निवेश उत्पाद के रूप में पीयर टू पीयर लेंडिंग को बढ़ावा नहीं देगा।

47. ऋणों की वसूली के मामले में, एनबीएफसी-पी2पी यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को प्रतिभागियों से उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया हैं और वे उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे, जैसे कि असुविधाजनक समय पर उधारकर्ताओं को परेशान करना, ऋण की वसूली के लिए दबाव का उपयोग करना आदि।

48. एनबीएफसी-पी2पी यह सुनिश्चित करेगी कि इसके द्वारा प्राप्त प्रतिभागियों से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकटन किसी तीसरे पक्ष को प्रतिभागियों की सहमति के बिना न किया जाए।

49. निदेशक मंडल उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण प्रणाली के कामकाज की आवधिक समीक्षा का भी प्रावधान करेगा। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट उसके द्वारा नियमित अंतराल पर बोर्ड को, प्रस्तुत की जाएगी।

50. प्लेटफॉर्म अपनी वेबसाइट, मोबाइल/वेब अनुप्रयोगों पर प्रमुखता से एक चेतावनी प्रदर्शित करेगा, जिसमें इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य प्रचार सामग्री को शामिल किया जाएगा, कि "यह रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि, रिज़र्व बैंक एनबीएफसी-पी2पी द्वारा दिए गए किसी भी बयान या अभ्यावेदन या व्यक्त की गई राय की सत्यता के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और इस पर उधार दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए कोई आश्वासन प्रदान नहीं करता है।"

आई. प्रतिभागी शिकायत निवारण

51. एनबीएफसी-पी2पी प्रतिभागियों की शिकायतों / समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगी। एनबीएफसी-पी2पी द्वारा शिकायतों का निपटारा ऐसी समय सीमा के भीतर और इस तरह से किया जाएगा जैसा कि उसकी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में दिया गया है, किन्तु किसी भी स्थिति में, इसमें शिकायत प्राप्ति की तारीख से एक महीने से अधिक अवधि नहीं लगनी चाहिए।

52. परिचालन स्तर पर, एनबीएफसी-पी2पी वेबसाइट पर प्रतिभागियों के हित में निम्नलिखित जानकारी विशिष्टता से प्रदर्शित करेगी:

(1) शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन / मोबाइल नंबर और ईमेल पता) जिसे एनबीएफसी-पी2पी के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है;
(2) यदि शिकायत / मतभेद का समाधान एक माह की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्रतिभागी रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग को अपील कर सकता है।

आई.1 रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बडसमैन योजना, 2021

53. रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बडसमैन योजना, 2021 (आरबीआईओएस, 2021) के तहत कवर की गई एनबीएफसी उक्त योजना के तहत प्रदान किए गए निदेशों का पालन करेंगी।

जे. सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, डेटा सुरक्षा और व्यवसाय निरंतरता योजना

54. एनबीएफसी-पी2पी का व्यवसाय मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित होगा। व्यवसाय में होने वाली वृद्धि को संभालने के लिए प्रौद्योगिकी का स्केलेबल होना आवश्यक है।

55. इसकी आईटी प्रणालियों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए ताकि रिकॉर्ड एवं डेटा को किसी प्रकार के अनधिकृत प्रवेश, छेडछाड, नष्ट करने, प्रकटन अथवा प्रसार से रोककर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रिज़र्व बैंक समय-समय पर, जैसा भी उचित समझे, तकनीकी विनिर्दिष्टीकरण निर्धारित कर सकता है।

56. एनबीएफसी-पी2पी के पास जानकारी और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और प्लेटफॉर्म बंद होने की स्थिति में पूर्ण अवधि के दौरान ऋणों की सर्विसिंग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना होनी चाहिए।

57. आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा लागू होगी और कम से कम दो वर्ष में एक बार सीआईइसए प्रमाणीकृत बाह्य लेखा परीक्षकों से लेखापरीक्षा लेखा परीक्षण करवाना होगा। बाह्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट मिलने के एक माह के भीतर रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी जिसके क्षेत्राधिकार में एनबीएफ़सी-पी2पी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

58. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि एनबीएफसी-पी2पी, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का व्यवसाय करना बंद कर देती है, तो प्लेटफॉर्म पर सम्पन्न ऋण समझौतों का प्रबंधन और संचालन करार की शर्तों के अधीन तीसरे पक्ष द्वारा जारी किया जाता रहेगा।

59. एनबीएफसी-पी2पी सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर मास्टर निदेश दिनांक 07 नवंबर, 2023 (समय-समय पर संशोधित) का पालन करेगी।

जे.1 परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शी नोट

60. एनबीएफसी-पी2पी समय-समय पर संशोधित 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात-सहनीयता पर मार्गदर्शी नोट' का उपयोग कर सकती है।

अध्याय-IV – कॉर्पोरेट अभिशासन

ए. उपयुक्त और उचित मानदंड

63. एनबीएफसी-पी2पी उपरोक्त के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 12 और 13 के प्रावधानों का पालन करेगी। इसके अलावा,

(1) यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक अपनी नियुक्ति के समय और निरंतर आधार पर उपयुक्त एवं उचित मानदंडों को पूरा करें तथा छमाही आधार पर इसे प्रमाणित करें और रिज़र्व बैंक को सूचित करें;

(2) निदेशकों, या प्रमुख प्रबंधन कर्मी मे किसी भी परिवर्तन की सूचना रिज़र्व बैंक को दे, और एनबीएफसी-पी2पी के प्रबंध निदेशक / सीईओ से यह प्रमाण पत्र जारी करे कि निदेशकों के चयन में उपयुक्त एवं उचित मानदंडों का पालन किया गया है। यह प्रमाणपत्र इस परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को पहुँचना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी-पी2पी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। एनबीएफसी-पी2पी के सीईओ द्वारा 31 मार्च को समाप्त तिमाही पर लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित उसके निदेशकों के नाम देते हुए एक वार्षिक विवरण उक्त क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

64. रिज़र्व बैंक जनहित को ध्यान में रखते हुए एवं अगर उचित पाएँ, तो स्वतंत्र रूप से इसका मूल्यांकन कर सकता है कि क्या निदेशक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उपयुक्त और उचित हैं, और रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें हटाए जाने की सूचना दिये जाने पर एनबीएफसी-पी2पी संबंधित निदेशक को हटा देगा।

बी.बोर्ड का अनुभव

65. एनबीएफसी-पी2पी इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 8 के प्रावधानों का पालन करेगी।

सी. जोखिम प्रबंधन समिति

66. एनबीएफसी-पी2पी इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 9 के प्रावधानों का पालन करेगी।

डी. एनबीएफसी-पी2पी के शेयरों का आबंटन, अधिग्रहण अथवा नियंत्रण हस्तांतरण के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता

67. एनबीएफसी-पी2पी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6(1) और 6(2) के प्रावधानों का पालन करेगी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक होगी –

(1) शेयरों का ऐसा कोई आवंटन जो किसी व्यक्ति या समूह की कुल धारिता को एनबीएफसी-पी2पी की प्रदत्त पूंजी के 26 प्रतिशत के बराबर अथवा अधिक की कर दे;

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, शब्द

(i) "धारिता" प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष धारिता, लाभदायक अथवा कोई और, सभी को संदर्भित करता है। धारिता की गणना आवेदक, रिश्तेदारों (जहां आवेदक एक प्राकृतिक व्यक्ति है) और संबद्ध उद्यमों की धारिता के संदर्भ में की जाएगी।

(ii) "एसोसिएट एंटरप्राइज" का वही अर्थ है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12B के स्पष्टीकरण I में दिया गया है।

(2) शेयरधारिता में कोई भी परिवर्तन जो अधिग्रहण करने वाले को निदेशक नामित करने का अधिकार देगा, और

(3) निदेशकों और/या प्रबंधन में बदलाव के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 10 के अनुसार।

डी.1 पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन

68. उपरोक्त पैराग्राफ 67(1) और 67(2) में आवश्यकता के अनुसार पूर्व अनुमोदन के संबंध में, एक एनबीएफसी-पी2पी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां– शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 7 में निर्धारित अनुदेशों का पालन करेगी। उपरोक्त पैराग्राफ 67(3) में आवश्यकता के अनुसार पूर्व अनुमोदन के संबंध में, एनबीएफसी-पी2पी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां– अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 11 में निर्धारित अनुदेशों का पालन करेगी।

डी.2 नियंत्रण / प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक सूचना

69. एनबीएफसी-पी2पी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां– शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 8 से 10 में निर्धारित अनुदेशों का पालन करेगी।

डी.3 पता, निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि के बदलने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

70. प्रत्येक एनबीएफसी-पी2पी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6 और 7 में निर्धारित अनुसार पते, निदेशकों, लेखा परीक्षकों आदि में परिवर्तन की सूचना देगी।

डी.4 एफ़एटीएफ़ गैर-अनुपालित क्षेत्राधिकारों से निवेश

71. एनबीएफसी-पी2पी, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता या नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 11 से 13 में निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

अध्याय-V – विविध निदेश

ए. एनबीएफसी-पी2पी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन

72. एनबीएफसी-पी2पी, अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था का स्व-आकलन करेगी और इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आउटसोर्सिंग में जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025 और भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – जिम्मेदार कारोबार आचरण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 98 से 100 में निहित निदेशों के अनुरूप लाएगी। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी-पी2पी उधारकर्ताओं / ऋणदाताओं से लिए जाने वाली फीस / सेवाओं के मूल्य निर्धारण को आउटसोर्स नहीं करेगी।

बी. अकाउंट एग्रीगेटर परिवेश तंत्र के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

73. एनबीएफसी-पी2पी भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 14 और 15 के प्रावधानों का पालन करेगी।

सी. रिपोर्टिंग आवश्यकताएं

74. रिज़र्व बैंक समय-समय पर, एनबीएफसी-पी2पी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/विवरणियों को निर्धारित कर सकता है, जैसा भी वह उचित समझे।

75. निम्नलिखित त्रैमासिक विवरण उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय को तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे:

(1) ऋणों के संबंध में संख्या और राशि दर्शाने वाला विवरण;

(i) तिमाही के दौरान संवितरित;

(ii) तिमाही के दौरान बंद; और

(iii) तिमाही के अंत में शेष ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं की संख्या सहित तिमाही के शुरुआत में और अंत में बकाया।

(2) तिमाही के लिए जमा और कटौती के योग सहित विभाजित आधार पर ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं से प्राप्त एस्क्रो खाते में राशि।

(3) तिमाही के शुरुआत में और अंत में बकाया और तिमाही के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या

(i) ऋणदाता और

(ii) उधारकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों के रूप में विभाजित किया गया है।

(4) अंश और भाजक के विवरण सहित लीवरेज अनुपात।

डी. पर्यवेक्षण

76. रिज़र्व बैंक, किसी भी समय, अपने एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा, या रिज़र्व बैंक के अनुसार उपयुक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई भी एनबीएफसी-पी2पी का निरीक्षण करवा सकता है।

ई. छूट

77. रिज़र्व बैंक, यदि किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए आवश्यक समझता है, तो किसी एनबीएफसी-पी2पी या एनबीएफसी-पी2पी के वर्ग या सभी एनबीएफसी-पी2पी को अनुपालन के लिए समय-सीमा में वृद्धि कर सकता है अथवा इन निदेशों के सभी या किसी भी प्रावधान के, सामान्य तौर पर या विशेष रूप से और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लागू करे, अनुपालन करने से छूट प्रदान कर सकता है।

एफ. स्पष्टीकरण

78. यदि इन निदेशों की से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो मामले को रिज़र्व बैंक को भेजा जाएगा और रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय IV – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

79. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां- पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त किए जाते हैं, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया था। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

80. ऐसे निरस्तीकरण के बावजूद, किसी भी कार्रवाई जो की गई हो या कथित तौर पर किए जाने का दावा किया गया हो, या जो निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रारंभ की गई हो, वह उन प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगी। इन निरस्त की गई सूचियों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियाँ इन निदेशों के तहत शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा:

(1) उसके अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, बाध्यता या दायित्व;

(2) उसके अधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में होनेवाला कोई भी जुर्माना, जब्ती या दण्ड;

(3) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, कर्तव्य, दायित्व, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है, या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड इस तरह से लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

81. इन निदेशों के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों के पूरक होंगे और इनके प्रावधानों के विपरीत नहीं होंगे, जो वर्तमान में लागू हैं।

सी. व्याख्याएं

82. इन निदेशों के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या की किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि आरबीआई द्वारा आवश्यक समझा जाएँ, तो यह इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और आरबीआई द्वारा दिए गए किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I

पैराग्राफ 37

निधि अंतरण प्रक्रिया

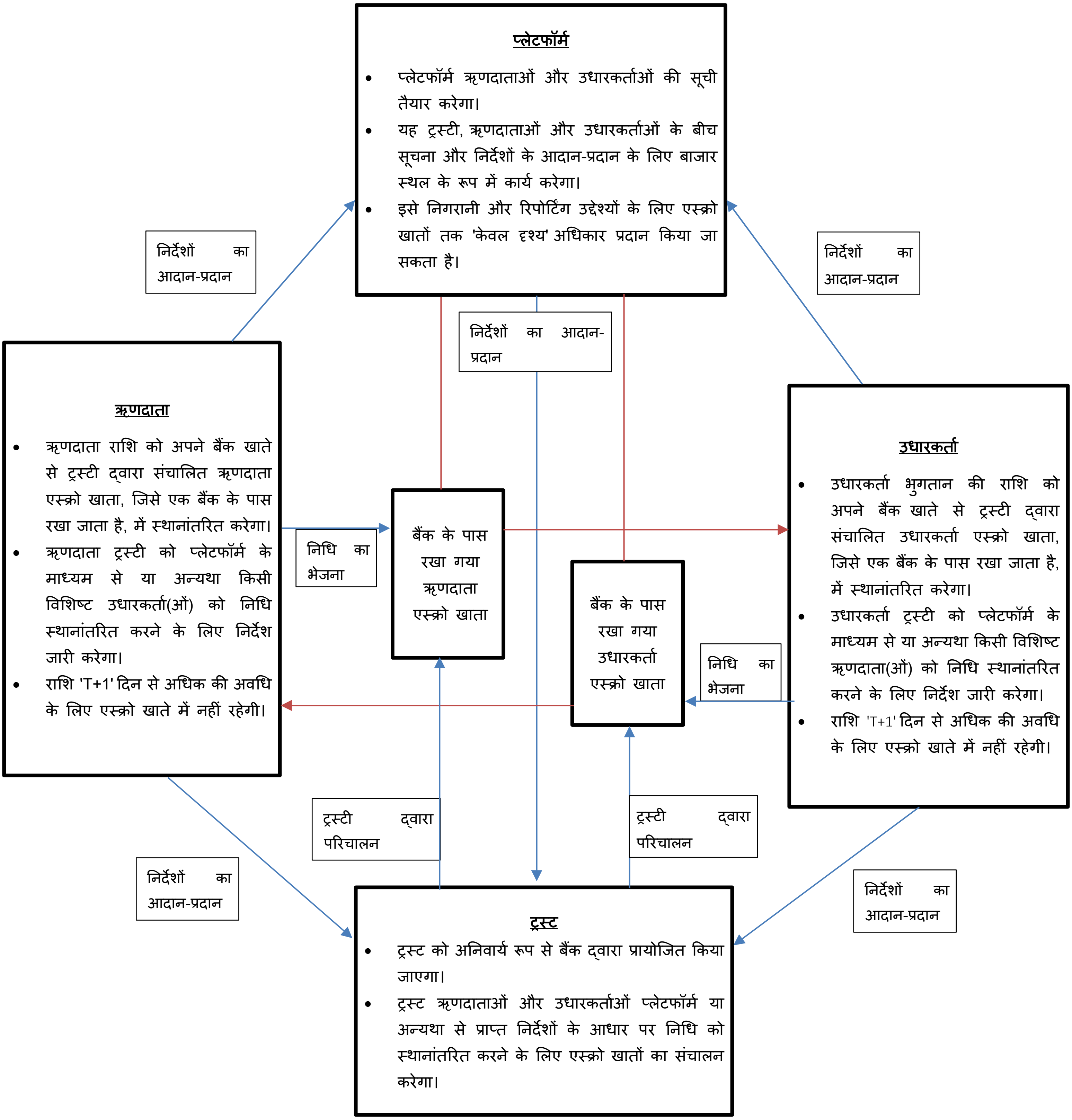

'T' वह तिथि है जिस दिन संबंधित एस्क्रो खातों में धनराशि प्राप्त होती है।